


# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर


अपील / निम्नसं. सं. २२१६/२०१७ जिला कालावाड़

नाम: इ. ब्राह्मि प्रकी खान ड० श्री अहमद अली खान प/५ अतिरिक्त प्राप्त, प्रति कर प्रत्येक कर शर्त, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज <u>खण्ड 6 कैम जयपुर</u>	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
----------------	---	---

28.8.2017	<p style="text-align: center;">-श्री वी. निवास - अध्यक्ष -श्री लक्ष्मण - सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के अभिभावक श्री जी. कुमार एवं उत्पथी के अभिभावक विहान उपराजकीय अधिकता श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभावक ने धारणा पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी कंटेनर की शर्तों के अनुसार विभाग से कलैक्शन चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी कालावाड़ ने पत्र क्रमांक 140 दिनांक 26.7.2017 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया है कि कलैक्शन चार्ज की स्वीकृति जारी है चुकी है तथा बजट प्राप्त होने पर मुगलन कर दिया जाएगा जिससे अपीलार्थी अपील आगे चलाना नहीं चाहते व उपरोक्तानुसार कार्यवाही के संदर्भ में अपीलार्थी withdraw करना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी का धारणा स्वीकार करते हुए उपरोक्त पत्र क्रमांक 140 दिनांक 26.7.2017 के संदर्भ में अपील जरूरी withdraw खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">मिर्चा सुनाया गया।</p>	
-----------	--	--

  
 न. स. शर्मा  
 28/8/2017  
 अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

  
 अध्यक्ष  
 राजस्थान कर बोर्ड  
 अजमेर